ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORTATION OF INDIA

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

INCENTIVE SCHEME FOR WORKMEN

(W.E.F. 01.04.2017)

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORTATION OF INDIA
G.T. Road, Kanpur – 209217

INCENTIVE SCHEME FOR WORKMEN

1. Coverage

1.1 The Incentive Scheme is applicable to all regular workers of the corporation from Group A to Group H. This scheme is not applicable to manpower engaged through manpower agency working on contractual basis.

1.2 The scheme is effective from 01.04.2017 to 31.03.2022 and may be extended by mutual consent of recognized worker union and management.

2. PRP Scheme -Executives

2.1 This refers to the scheme as finalized by DPE in the Pay Revision Guidelines.

2.2 The relevance of the scheme is because of its linkage in deriving the payout percentage finalized and average payable amount for E-0 officer after consideration all the factors like MOU rating, Team Rating and Individual Rating apart from the surplus and incremental surplus.

3. Structure of the Scheme

3.1 The scheme shall be subdivided into monthly incentive payable and annual incentive payable.

3.2 The total amount of Incentive shall be calculated in the scheme and the same after deductions of all 12 monthly payments shall be disbursed at the time of Dussehra/Diwali.

3.3 Monthly Incentive shall be paid on the basis of Monthly Turnover achieved.

4. Monthly Incentive

4.1 The MOU Turnover Target finalized shall be divided by 12 to deduce Monthly Target.

4.2 Monthly Incentive at various slab achievement (Actual/Target) shall be : -

	A to H
71% - 80% achievement of Monthly Turnover	Rs. 1300.00
81%- 99 % achievement of Monthly Turnover	Rs. 1500.00
100% - 110% achievement of Monthly Turnover	Rs. 1750.00
Above 110% achievement of Monthly Turnover	Rs. 2000.00

5. <u>Annual Incentive</u>

5.1 As desired by the Workers and Workers Union, the Incentive payable shall be same for 100% attendance (physical presence) for workmen irrespective of their group which effectively means that same amount is payable to each worker on 100% attendance without resorting to slabs for different categories of workmen.

5.2 The yearly incentive shall be 90% of the average incentive payable to E-0 Officer.

5.3 From out of Total Incentive; monthly payments made from April to March shall be deducted and balance is payable during the festive season.

6. <u>General</u>

6.1 Both monthly as well as annual incentive shall be subject to adjustment by attendance factor which is a ratio of actual days present physically (including outstation duties and medical leave) / no. of working days.

6.2 Income Tax is recoverable as per rules and Income Tax Act treating this incentive to be a part of Salary.

6.3 Employees dismissed/terminated and suspended from the services are not entitled to the provisions of the scheme. In case of suspended employee, the incentive is payable only after revocation of suspension with back wages.

7. Canteen reimbursement of Rs 100.00 for employees called on Sundays, Closed Saturdays or Holidays shall be payable provided they stay for 4 hours and above.

8. Conveyance of Rs 100.00 shall be payable to employees who attend the office for a minimum of 2 hours on Sundays, Closed Saturdays or Holidays provided he/she does not avail company's transport.

9. CMD is authorized to interpret, alter, amend or modify the scheme during the implementation of the scheme depending upon the sustainability of the scheme considering overall performance of the corporation

****

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

(01.04.2017 से प्रभावी)

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

जी.टी. रोड, कानपुर - 209217

कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

1. विस्तार

1.1 यह प्रोत्साहन योजना समूह ए से समूह एच में कार्यरत निगम के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होगी। यह योजना संविदा आधार पर जनशक्ति एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली जनशक्ति के लिए लागू नहीं है।

1.2 यह योजना दिनांक 1.4.2017 से दिनांक 31.3.2022 तक प्रभावी होगी तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं प्रबंधन के बीच आपसी सहमति से इसका अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

2. पी.आर.पी. योजना - अधिकारी

2.1 यह लोक उद्यम विभाग द्वारा वेतन संशोधन के संबंध में जारी दिशानिदेशों के अंतर्गत अंतिम स्वरूप प्रदान की गई योजना है।

2.2 इस योजना का औचित्य अधिशेष एवं वृद्धिशील अधिशेष के साथ साथ की जाने वाली अदायगी के प्रतिशत के अंतिम निर्धारण एवं एम.ओ.यू.रेटिंग, टीम रेटिंग तथा वैयक्तिक रेटिंग जैसे सभी कारकों पर विचार के पश्चात ई-0 अधिकारी को देय औसत भुगतान से सम्बद्धता के कारण है।

3. योजना की संरचना

3.1 यह योजना के अंतर्गत देय मासिक प्रोत्साहन एवं देय वार्षिक प्रोत्साहन के प्रतिभाग किए जाएंगे।

3.2 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की कुल राशि का आकलन किया जाएगा तथा उसमें से 12 मासिक भुगतानों की कटौतियों के पश्चात किया जाने वाला संवितरण दशहरा / दिवाली के अवसर पर किया जाएगा।

3.3 मासिक प्रोत्साहन का भुगतान टर्नओवर की मासिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।

4. **मासिक प्रोत्साहन**

4.1 समझौता ज्ञापन टर्नओवर के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 12 से विभाजित करके मासिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा।

4.2 विभिन्न स्लैब की उपलब्धियों (वास्तविक / लक्ष्य) के लिए मासिक प्रोत्साहन निम्नानुसार होंगे :-

	ए से एच
मासिक टर्नओवर पर 71% - 80% उपलब्धि	1300.00 रूपए
मासिक टर्नओवर पर 81%- 99 % उपलब्धि	1500.00 रूपए
मासिक टर्नओवर पर 100% - 110% उपलब्धि	1750.00 रूपए
मासिक टर्नओवर पर 110% से अधिक उपलब्धि	2000.00 रूपए

5. **वार्षिक प्रोत्साहन**

5.1 कर्मचारियों तथा कर्मचारी यूनियनों की अपेक्षा के अनुसार कर्मचारियों के समूह के संबंध में विचार किए बिना 100% उपस्थिति (भौतिक उपस्थिति) के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन समान रहेगा जिसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्लैब को विचार में लिए बिना 100% उपस्थिति के लिए प्रत्येक कर्मचारी को समान राशि का भुगतान किया जाएगा।

5.2 ई-0 अधिकारी को देय औसत प्रोत्साहन का 90% भाग वार्षिक प्रोत्साहन होगा।

5.3 कुल प्रोत्साहन में से अप्रैल से मार्च के दौरान किए गए भुगतान की कटौती की जाएगी तथा शेष प्रोत्साहन का भुगतान त्यौहार के काल के दौरान किया जाएगा।

6. **सामान्य**

6.1 मासिक एवं वार्षिक रूप में प्रदान किए जाने वाले दोनों प्रोत्साहन वास्तविक भौतिक उपस्थिति (बाह्य स्टेशन ड्यूटी तथा चिकित्सा छुट्टी सहित) / कार्य दिवसों की संख्या के अनुपात पर आधारित उपस्थिति कारक पर समायोजन किए जाने की शर्त पर होंगे।

6.2 इस प्रोत्साहन को वेतन का भाग मानते हुए इसमें से आयकर अधिनियम के नियमों के अंतगर्त आयकर की वसूली की जाएगी।

6.3 सेवाओं से पदच्युत/ बर्खास्त तथा निलम्बित कर्मचारी इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। निलम्बित कर्मचारी के मामले में प्रोत्साहन का भुगतान पूर्व वेतन सहित निलम्बत समाप्त किए जाने की स्थिति में ही किया जाएगा।

7. रविवार, शनिवार की छुट्टी अथवा हॉलिडे के लिए 100.00 रूपए की राशि की कैंटीन प्रतिपूर्ति का भुगतान 4 घंटों अथवा अधिक समय तक कार्य करने की स्थिति में ही किया जाएगा।

8. रविवार, शनिवार की छुट्टी अथवा हॉलिडे के दिन कम से कम दो घंटे तक कार्यालय में उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को, उनके द्वारा कम्पनी परिवहन का उपयोग न किए जाने की शर्त पर, 100.00 रूपए की राशि का भुगतान यात्रा व्यय के तौर पर किया जाएगा।

9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, योजना के कार्यान्वयन के दौरान, कॉर्पोरेशन के समग्र कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, योजना की स्थिरता के आधार पर, योजना की व्याख्या करने, उसमें परिवर्तन, संशोधन या सुधार करने के लिए अधिकृत हैं।

****